कार्यालय संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
संत बाबा गुरू घासीदास जी स्मृति शासकीय चिकित्सालय रायगढ़ (छ.ग.)- 496001
email ID - gmcraigarhhospital@gmail.com

क्र./चिकि./स्थापना (लीगल)/2026/ रायगढ़, दिनांक

प्रति,

कलेक्टर
जिला – रायगढ़ (छ.ग.)

विषय –माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के रिट याचिका क्रमांक WPC 3050/2026 Hitnarayan Bareth vs State of Chhattisgarh & 04 Ors

संदर्भ– कार्यालय कलेक्टर रायगढ़ का पत्र क्र./3356/LAW/1210-COLL RGH AS (REV) SEC रायगढ़, दिनांक 24 अप्रेल 2026.

––00––

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के रिट याचिक क्रमांक WPC No. 3050/2026 Hitnarayan Bareth vs State of Chhattisgarh & 04 Ors में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11.07.2026 को विस्तृत आदेश जारी किया गया है जो निम्नानुसार है –

''Taking into consideration that the petitioner is working as daily wage employee and as of now, he has completed more than 10 years continuous service; considering the above decisions of Hon'ble Supreme Court, this writ petition, at this stage, is disposed of permitting petitioner to submit fresh comprehensive representation before the respondent authorities for redressal of his grievance as raised in this writ petition. If such a representation is submitted by petitioner the respondent authorities shall consider and decide the same keeping in mind the period of service which the petitioner has completed of more than 10 years as also the decisions of Hon'ble Supreme Court on the issue of regularization of daily wage/temporary employees, in accordance with law expeditiously, preferably within a further period of 04 months from the date of receipt of representation.''

उक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से कार्यालय कलेक्टर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.04.2026 का निर्धारित समय सीमा के भीतर नियमानुसार पालन में अनुक्रम में आवश्यक कार्यवाही करते हुए कलेक्टर कार्यालय एवं शासन को अवगत कराने हेतु पत्र प्राप्त हुआ है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.04.2026 के संबंध में लेख है कि याचिकाकर्ता श्री हितनारायण बरेठ द्वारा अपील किया गया है कि उनकी सेवा ''**10 वर्षों की निरंतर सेवा *(10 years of continuous service)*** '' है, चूंकि श्री हितनारायण बरेठ की सेवा हर 89 दिवसों के कार्य के पश्चात ''Service Break'' किया जाता है। अतः उनकी सेवा 10 वर्ष की **निरंतर** सेवा नहीं मानी जाएगी।

संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
संत बाबा गुरु घासीदास जी
स्मृति शासकीय चिकित्सालय
रायगढ़ (छ.ग.)

पृ. क्र./चिकि./स्थापना (लीगल)/2026/ रायगढ़, दिनांक

प्रतिलिपि –

1. अधिष्ठाता, स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
2.